कार्यालय नगर पंचायत औरंगाबाद बुलन्दशहर

ई–टेण्डरिग हेतु निविदा प्रपत्र

आर्दश नागर योजना के अन्तर्गत प्रान्त धनराशि से 70 वाट की 80 नग एल0ई0डी0 लाईटो की आपूर्ति का कार्य शासन स्तर से स्वीकृत है। वर्तमान मे ""प्रदेश के नागर निकायो मे मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत लगायी जाने वाली एल0ई0डी0 लाईटों / ल्यूमिनेयर की गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध मे निर्गत दिशा–निर्देश मे संशेधन"" विषयक शासनदेश संख्या – 818/नौ–8–2018–96ज/2015 नगर विकास अनुभाग–8 लखनऊ दिनांक 27 मार्च 2018 के द्वारा एल0ई0डी0 के तकनीकी मानकों में परिवर्तन कर दिया गया है। इस शासनादेश को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्य की निविदायें ई–टैण्डर पोर्टल पर निविदा प्रकाशित करायी जा रही है। निविदा से सम्बन्धित विवरण एवं शर्ते उत्तर प्रदेश की ई–प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट www.etender.up.nic.in, and www.nppbulandshahr.nic.in पर देखी जा सकती है। ई–निविदा ही समस्त कार्यवाही उत्तर प्रदेश की ई–प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट www.etender.up.nic.in, के माध्यम से ही पूर्ण की जायंगी ।

निविदा अपलोड करने की प्रारम्भ व अन्तिम तिथि	दिनांक 26.05.18 को प्रातः 10 बजे से दिनांक 31.05.18 दोपहर 02:00 बजें तक।
कार्यो की निविदा स्केन आर्नेस्टमनी एवं निविदा शुल्क की मूल्य की प्रतिकार्यालय नगर पंचायत में जमा करने की अन्तिम तिथि/समय	दिनांक 31.05.18 की साय 03:00 बजें तक।
निविदा खोले जाने की तिथि	दिनांक 31.05.18 को प्रातः 4:00 बजे ।

क्रम	कार्य का नाम	अनुमानित आगणन (रू0मे)	धरोहर राशि (रू0 मे)	निविदा मूल्य (रू0 मे)	कार्य की अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	आर्दश नगर योजना के अन्तर्गत"प्रदेश के नागर निकायों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत लगायी जाने वाली एल0ई0डी0 लाईटों /ल्युमिनेयर की गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध मे निर्गत दिशा–निर्देशें में संशेधन"" विषयक शासनादेश संख्या – 818/नौ–8–2018–96ज–201 5 नगर विकास अनुभाग–8 लखनऊ दिनांक 27 मार्च 2018 के अनुसार 70 वाट क्षमता की 80 नग एल0ई0डी0 लाईटों की आपूर्ति ।	37,50,000.00	2 प्रतिशत	2,000.00 + 18 GST	एक माह	–

तकनीकी बिड के साथ अपलोड किये जाने वाले कागजात का विवरण :–

1. निविदा शुल्क सम्बन्धी डिमाण्ड ड्राफटस/पे आर्डर्स की स्कैन प्रति ।
2. धरोहर राशि (EMD) प्रमाण–पत्र अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत औरंगाबाद के पदनाम से बन्धक कराने पर प्राप्त ट्रांजेक्शन नम्बर को निविदा के समय अपलोड किया जायेगा ।
3. आयकर विभाग से जारी पेनकार्ड की स्वः प्रमाणित छायाप्रति। (फर्म के नाम अथवा प्रोपराईटर के नाम) ।
4. जी0एस0टी0 का पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति ।
5. जिस कम्पनी का सामान आपूर्ति किया जायेगा, उस कम्पनी का स्वयं का उत्पादनकर्ता होने अथवा निर्माता कम्पनी का अधिकृत डीलरशिप के प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित छायाप्रति ।
6. शासनादेश दिनांक 27,03,2018 के प्रस्तर संख्या – 3 के अनुसार चूंकि एल0ई0डी0 लाईटें कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम आफ बी0आई0एस0 से आच्छादित है, अतः बी0आई0एस0 रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता, भारत सरकार का राजपत्र असाधारण भाग – ।। खण्ड –3 उप खण्ड (।।) इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिसूचना संख्या – 2403 नई दिल्ली दिनांक 17 अगस्त 2017 में उल्लेख किया गया है कि "का0आ0 2742 (अ) – भारतीय मानक ब्यूरों अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के खंड 10 (1) (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के खण्ड (चक) के अनुसरण मे केन्द्र सरकार इलेक्ट्रानिकी और सुचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकताएं) आदेश, 2012 की अनुसूची में सम्मिलित उत्परद के सम्बन्ध मे बी0आई0एस0 रजिस्ट्रेशन का प्रमाण / साक्ष्य ।

"उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपकमों /विकास प्राधिकरणों /नगर निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / निकायों मे ई–टेण्डरिंग प्रणाली के सम्बन्ध में" विषयक शासनादेश संख्या – 1/2018/3070/78–2–2018 /42 आई0टी0/2017(22) आई0टी0 एवं इलेक्ट्रोनिक्स अनुभाग –2 लखनऊ दिनांक 03 जनवरी 2018 के प्राविधानों के अनुसार निविदादाता को निविदा अपलोड करने के समय, तकनीकी बिड के उपरोक्त वर्णित कागजातों की स्कैन कर, निविदा के साथ अपलोड किया जायेगा। निविदा प्रकिया पूर्ण हो जाने अर्थात निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से नगर पंचायत औरंगाबाद के कार्यालय मे प्रस्तुत किये जायेंगें। निविदा की तकनीकी एव बिड खाले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निपिदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD)सम्बन्धी डिमाण्ड ड्राफ्टस /पे–आर्डर्स / प्रतिभूति प्रमाण –पत्र मूल रूप से प्रस्तुत नही किये जाने पर निविदादाता के विरुद्व कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची मे डाल दिया जायेगा । अपठनीय एवं अस्पष्ट स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड होने पर निविदा निस्त कर दी जायेगी ।

अन्य शर्तेः–

1 शासकीय कर जैसे जी0एस0टी0, आयकर इत्यादि के सम्बन्ध मे जो भी शासकीय निर्देश / व्यवस्था होगी, वह शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगी तथा सेवा प्रदाता को मान्य होगी।

2 सशर्त अथवा तार द्वारा प्रषित निविदाओं पर कोई विचार नही किया जायेगा।

3 अधिशासी अधिकारी /अध्यक्ष नगर पंचायत औरंगाबाद के द्वारा किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार किसा जा सकता है।

4 निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार को शासन द्वारा निर्धारित धनराशि के स्टाम्प पेपर पर अपने व्यय पर अनुबन्ध लिखाना होगा।

5 यदि कार्य शासकीय अनुदान के अन्तर्गत कराया जाना होगा तो भुगतान शासकीय अनुदान की शर्तो का कतिपय अनुपालन करते हुए किया जायेगा ।

6 अनुबन्ध कराने के समय निविदादाता को, निविदा मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि, एफ0डी0आर0के रूप पे नगर पंचायत औरंगाबाद के कार्यालय मे जमा करानी अनिवार्य होगी जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत औरंगाबाद के पदनाम से बन्धक होनी अनिवार्य है।

7 निविदादाता के द्वारा इस कार्य को अनुबन्ध निष्पादित होने के उपरान्त दिये जाने पाले कार्यादेश की प्राप्ति के बाद एक माह के अन्दर पूर्ण करना होगा ।

8 निविदादाता किसी कारणवश निर्धारित समय मे कार्य पुर्ण करने मे असमर्थ रहे तो ऐसी दशा मे प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि उक्त कार्य को किसी अन्य ठेकेदार से पूर्ण करा लें। इस प्रकार से कार्य पूर्ण कराने मे प्रथम पक्ष की जो अतिरिक्त धनराशि व्यय होगी, उसको द्वितीय पक्ष से प्रथम पक्ष पूर्ण कर लेगा तथा द्वितीय पक्ष की जमानत की धनराशि को जब्त कर लेगा।

9 निविदादाता के द्वारा आपूर्ति किये गये सामान मे गारण्टी अवधि मे समय–समय पर आन वाली तकनीकी खराबियो को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित नही कराया जायेगा तो उसकी जमानरत राशि पालिका पक्ष में जब्त करते हुए, काली सूची मे डाल दिया जायेगा ।

10 इस कार्य का अनुबन्ध करने के समय शर्तो मे संशोधन/परिवर्धन करने के लिए नगर पंचायत औरंगाबाद स्वतन्त्र है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत औरंगाबाद
बुलन्दशहर

अध्यक्ष
नगर पंचायत औरंगाबाद
बुलन्दशहर